

कार्यालय उप वन संरक्षक , भीलवाडा

दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना हेतु पुनः संशोधित 15.0015^५ (जनपद भीलवाडा 7.7446 है.), वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 3.60 है. पूर्व में जनपद भीलवाडा मे एन.एच.आई के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि रि-डाईवर्जन।

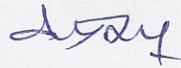
चम्बल भीलवाडा पेयजल परियोजना हेतु पुनः संशोधित 15.0015 (जनपद भीलवाडा 4.1446 है.), वन भूमि का प्रत्यावर्तन एवं 3.60 है. पूर्व में जनपद भीलवाडा मे एन.एच.आई के पक्ष में प्रत्यावर्तित वन भूमि रि-डाईवर्जन की एवज में 10 गुने दण्डात्मक क्षतिपूरक वृक्षारोपण के लिए भीलवाडा वनमण्डल की मांग इस प्रकार है:-

1. स्वीकृत वन क्षेत्र 1.3456 है. (स्वीकृति दिनांक 8.10.14 अनुसार)
2320 मी. लम्बाई X 5.8 मी. चौड़ाई 13456 वर्ग मीटर
वास्तविक उपभोग का वनक्षेत्र
2438 मी. X 5.8 मी. चौड़ाई 14140 वर्ग मीटर
स्वीकृति से अधिक उपभोग मे आया वनक्षेत्र
118 मी. X 5.8 मीटर 684.4 वर्ग मीटर
2. विद्युत टॉवर- 60 नग X 1मीटर X 1 मीटर 60 वर्ग मीटर
योग 744.4 वर्ग मीटर या 0.075 हैक्टर

निर्धारित मॉडल अनुसार राशि (0.075 है. के 10 गुने अवनत वन भूमि) 0.75 हैक्टर X 121800 प्रति है. = 91350/- की मांग यूजर एजेन्सी से अपेक्षित है।

चूँकि विद्युत टॉवर पर तार नहीं खिंचे गये हैं अतः Row अनुसार दण्डात्मक क्षेत्र की गणना नहीं की जाकर वास्तविक क्षेत्रफल अनुसार गणना की गयी है।

वर्षवार मॉडल कॉस्ट की प्रति संलग्न है एवं मॉडल अनुसार वृक्षारोपण परिभ्रांषित वन क्षेत्र में ही कराया जाना प्रस्तावित है।


(बी.पी.पारीक)
उप वन संरक्षक,
भीलवाडा